उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 38–उ0नि0लि0/रिफार्म/विनियम/2013 दिनांकः 31 मई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित सेवा विनियमावलियों के संगत प्राविधानों को 'द इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956' तथा 'द ब्वायलर ऑपरेशन इंजीनियर्स रूल्स, 2011' के प्राविधानों के समनुरूपित करने की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के "आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन" के **आर्टिकिल 118(IX) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, निगम में यथा** प्रचलित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी संवर्ग सेवा विनियमावली, 1995 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
   (1) यह विनियमावली उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी संवर्ग सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2013 कही जायेगी।
   (2) यह विनियमावली तत्काल प्रभावी होगी।
2. अध्यारोही प्रभाव
   यह विनियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।
3. उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी संवर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–14 के पश्चात् नया विनियम–14–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्

   "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी संवर्ग सेवा विनियमावली, 1995 (यथा संशोधित) के किसी विनियम, परन्तुक एवं परिशिष्ट अथवा किसी प्रशासकीय आदेश में अन्यथा उपबन्धित होते हुए भी ऐसे स्थाई कार्मिक, जो विद्युत/फिटर/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र धारण करते हों तथा जिन्होंने श्रेणी पी–1, पी–2 तथा पी–3 स्तरों पर सम्मिलित रूप से अथवा किसी एक, दो अथवा तीनों स्तरों पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सीधे पी–4 (तकनीशियन–2) पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह होंगे।"

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 38 –(I)–उ0नि0लि0/रिफार्म/विनियम/2013 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)/सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
3– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

4– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), पी0पी0एम0एम0/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

9– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (निदेशक मण्डल की दिनांक 10–05–2013 को सम्पन्न 155वीं बैठक के एजेण्डा आइटम–18 के सन्दर्भ में)।

10– उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01)/(मा0सं0–02)/(मा0सं0–03)/(मा0सं0–04)/(मा0सं0–05)/ (प्रशिक्षण)/(संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

11– सचिव (विद्युत उत्पादन सेवा आयोग), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12– सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी)